

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 04 / 2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल नवलकिशोर पुत्र श्री मोहनलाल जाति दर्जी निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: अधिवक्ता गैर सायल श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित ।

—: निर्णय :—

दिनांक:—20.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल नवलकिशोर पुत्र श्री मोहनलाल जाति दर्जी निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	मानपुर	240 / 2017	03.10.2017	13 RPGO	223 / 2017	09.10.2017	सजा 100 रुपये अर्थदण्ड दिनांक 11.10.2017
2.	मानपुर	208 / 2019	19.07.2019	13 RPGO	167 / 2019	25.07.2019	सजा 100 रुपये अर्थदण्ड दिनांक 29.07.2019
3.	मानपुर	31 / 2023	06.02.2023	13 RPGO	19 / 2023	08.02.2023	सजा 100 रुपये अर्थदण्ड दिनांक 16.02.2023
4.	मानपुर	130 / 2023	25.05.2023	13 RPGO	117 / 2023	30.05.2023	सजा 100 रुपये अर्थदण्ड दिनांक 02.06.2023

उक्त शख्स नवलकिशोर पुत्र श्री मोहनलाल जाति दर्जी निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते हैं। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित आये एवं गैर सायल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।



